वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2153**

(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को एन॰पी॰एस॰ से पुरानी पेंशन योजना में मूलरूप से वापस लाना**

2153. श्री नीरज शेखरः

 श्री रवि प्रकाश वर्माः

 क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कार्यभार ग्रहण पत्र देने में प्रशासनिक विलंब पर निर्णय लेने संबंधी मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रशासनिक विलंब के कारण जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1-1-2004 के बाद की गई है, उन्हें मूलरूप से पुरानी पेंशन योजना में लाने के लिए सरकार सामान्य दिशानिर्देश क्यों नहीं जारी कर रही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने इनको विशेष मामला बताते हुए इस संबंध में निर्देश दिए हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)

**(क) और (ख) :** गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सूचित किया है कि दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय के आदेश और रिट याचिका (सी) सं. 3834/2013 में दिनांक 12.02.2015 के निर्णय तथा रिट याचिका (सी) सं. 39335/2017 में दिनांक 27.03.2017 के निर्णय के परिणामस्‍वरूप, गृह मंत्रालय ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग (डीओपी और पीडब्‍ल्‍यू) तथा विधि और न्‍याय मंत्रालय के साथ उचित परामर्श के पश्‍चात उन प्रार्थियों जिन्‍होंने सीपीओ (एसआई) 2002 परीक्षा में भाग लिया था लेकिन प्रशासनिक कारणों से बाद में 2004 में कार्यभार ग्रहण किया था, को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है।

डीओपी और पीडब्‍ल्‍यू के द्वारा सूचित किए गए अनुसार, नियुक्ति में कोई विलंब और यदि वह विलंब प्रशासनिक कारणों या किसी अन्‍य कारण से है, का निर्णय प्रत्‍येक मामले में तथ्‍यों के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए, इस संबंध में प्रशासनिक विलंब निर्धारित करने हेतु कोई सामान्‍य मानदण्‍ड जारी करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है।

\*\*\*\*\*